10-10-22	वकील प्रार्थीगण उप। वकील अप्रार्थीगण उप। बहस वकील सुनी गई। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया। पत्रावली निस्तारित की गई। पत्रावली निर्णयानुसार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Kumar Jain
Date: 2022.10.12 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, करौली जिला–करौली (राज.)

प्रकरण संख्या 52/22

तारीख:– रजू 29-7-22

उनवान

1. मदनलाल उर्फ पदम कोली पुत्र भुल्लन कोली जाति कोली आयु 57 साल निवासी करौली तहसील व जिला करौली राज0।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामसिंह पुत्र कमलसिंह आयु 55 साल
2. रूपसिंह पुत्र कमलसिंह आयु 51 साल
3. धनसिंह पुत्र कमलसिंह आयु 48 साल

सभी जातियान गुर्जर निवासी ससेडी मोड ससेडी तहसील व जिला करौली राज0।

4. तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला करौली राज0।

(अप्रार्थी)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता–श्री लवकुमार शर्मा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बावत कराने पत्थरगढी

दिनांक 10-10-22

निर्णय

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तेर्गत धारा 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 29–7–2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वॉके ग्राम ससेडी तहसील जिला करौली की आराजी भूमि खसरा नम्बर 728/2 रकवा 1.2645 हैक्टेयर भूमि है । जिसमें प्रार्थी का 4/5 हक व हिस्सा है । व सहखातेदार हरकेश पुत्र मूलचंद जाटव का 1/5 हिस्सा है । हम सह खातेदारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही है । प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं. 728/2 रकवा 1.2645 हैक्टेयर भूमि ग्राम ससेडी तहसील करौली से लगी हुई सिवायचक/खातेदारी भूमि है जिसपर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा निर्माण कराकर रिहायिश कर रहे हैं एवं प्रार्थी की खातेदारी की भूमि को दबाने की फिराक में है। प्रार्थी गरीब कोली जाति का है। अप्रार्थीगण सहजोर ताकतवर लोग हैं। प्रार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि में जबरदस्ती डोल डालकर अपनी ओर मिलाना चाहते हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से मना किया तो आमादा फसाद होकर प्रार्थी की भूमि पर डोल डालने पर उतारू हैं। अप्रार्थीगण 1 ता 3 प्रार्थी को अपनी उक्त भूमि में हदबंदी करने नहीं दे रहे हैं। सीमा विवाद कर झगडा फसाद पर उतारू हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

दिनांक 4–10–2022 को वकील प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसमें हरकेश पुत्र मूलचंद जाति जाटव निवासी गुनेसरा तहसील व जिला करौली को विवादित आराजियात का सह खातेदार होने के कारण रिकॉर्ड पर लेने [illegible] प्रार्थीयान द्वारा निवेदन किया गया चूंकि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध [illegible] के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पर वकील प्रा[illegible] सुना गया। हरकेश पुत्र मूलचंद जाति जाटव निवासी गुनेसरा तहसील करौली विवादित आराजी के सह खातेदार हैं और उनका उक्त विवादित आराजी में 1/5 हिस्सा है। इसलिए इनको पत्रावली में [illegible]र्थी संख्या 5 के रूप में रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः हरकेश पुत्र मूलचंद को अप्रार्थी संख्या 5 के रूप में पत्रावली में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या 5 हरकेश ने न्यायलय में उपस्थित होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Kumar Jain
Date: 2022.10.12 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र 111,128 एलआर एक्ट को स्वीकार कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 111,128 एलआर एक्ट इस न्यायालय में दिनांक 29–7–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने जवाब में अवगत कराया है कि ग्राम ससेडी में आराजी खसरा नं0 728/2 रकबा 1.2645 हैक्ट. मदनलाल उर्फ पदम कोली पुत्र भुल्लन हिस्सा 4/5 जाति कोली निवासी करौली हरकेश पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/5 जाति जाटव निवासी गुनेसरी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नं0 संयुक्त खातेदारी दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का 4/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नं0 संयुक्त खातेदारी में होने के कारण समस्त सह खातेदारों की सहमति से प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय में नियमानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही किया जाना उचित होगा। अप्रार्थी संख्या 5 हरकेश ने न्यायलय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र 111,128 एलआर एक्ट को स्वीकार कर पत्थरगढी करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया एवं बहस अधिवक्ता पर गौर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादाग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का 4/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्राप्त होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ससेडी तहसील जिला करौली की आराजी भूमि खसरा नम्बर 728/2 रकबा 1.2645 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार करौली को 1500 रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। तहसीलदार करौली पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौसीयान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल होने की स्थिति [illegible] ही जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10-10-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Kumar Jain
Date: 2022.10.12 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली
उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Scanned with CamScanner